न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 62/2017

अपीलांट

1. गेनाराम पुत्र स्व. लक्ष्मण जी
2. घीसूलाल पुत्र स्व. लक्ष्मणजी जातिगण माली निवासीगण ग्राम गिरदाडा की ढाणी (गुलाबपुरा) तहसील व जिला पाली।

रेस्पोडेन्ट

1. श्रीमती देवी पत्नी श्री श्यामलालजी जाति माली, निवासी पालगांव जोधपुर तहसील एवं जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री दौलत मकवाना, नौरतन चौहान विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.04.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 44/2017 बअनवान श्रीमती देवी बनाम गेनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता को न्यायालय की ओर से बार–बार आवाजे लगाने के बावजूद उपस्थित आने पर रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम गिरदडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांवरी तहसील पाली के खेत खसरा नंबर 154 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 365 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा, कुल रकबा 28 बीघा एवं खसरा नंबर 253 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 55 बीघा 13 बिस्वा भूमि मे से 1/3 हिस्सा की खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सीपीसी का प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में से 1/3 हिस्से के संबध में अपीलांटगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी लक्ष्मण पुत्र हेमाजी माली निवासी गिरदडा की ढाणी का स्वअर्जित थी, जिसके प्रमाण में उपरोक्त खसरा नंबरान की वादग्रस्त भूमि के पुराने राजस्व रेकर्ड भूमि एककीकरण खतौनी (जमाबंदी) संवत 2019 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। जिससे उपरोक्त खसरान नंबरान की आराजी एकमात्र अपीलांटगण के पिता श्री लक्ष्मणजी की खातेदारी कब्जा एवं काश्तशुदा होकर स्वअर्जित सम्पति होना साबित है। लक्ष्मणजी का अपीलांटगण के प्रति असीम प्रेम होने के कारण श्री लक्ष्मण जी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 18.09. 2014 को अपनी उपरोक्त वर्णित स्वअर्जित वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये दो अलग–अलग रजिस्टर्ड बख्शीशनामो के अपीलांटगण को बख्शीश किये जो बख्शीश अपीलांटगण द्वारा सहर्ष स्वीकार की। श्री लक्ष्मणजी ने बख्शीशसुदा वादग्रस्त आराजी का वास्तविक भौतिक कब्जा अपीलांगण को सुपुर्द किया जो कब्जा अपीलांटगण द्वारा प्राप्त कर संभाल लिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता भभूताराम जी का स्वर्गवास लक्ष्गण जी के जीवनकाल में हो चुका था, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता भभूतारामजी को वादग्रस्त आराजी में कोई स्वत्व, हित, हक–अधिकार कब्ज प्राप्त ही नही हुआ एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को उसके जन्म से वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व, हित, हक–अधिकार हिस्सा, कब्जा प्राप्त नहीं हुआ, क्यों कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी न होकर लक्ष्मणजी का स्वअर्जित आराजी थी। इसके अतिरिक्त विधि अनुसार उपरोक्तवर्णित बख्शीशनामे को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो पोषणीय न होने से खारिज योग्य है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी बिन्दुओ को अनदेखी करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। वकील अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये– (1) 2009(2)आर.आर.टी पेज नं 867 (2) 2011(18)आर.बी.जे पेज नंबर 582 (3) 2010(2)आर.आर.टी पेज नंबर 1443 (4) 2009(1)आर.आर.टी पेज नंबर 162 (5) 2009(1)आर.आर.टी पेज नंबर 391

बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम गिरदडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांवरी तहसील पाली के खेत खसरा नंबर 154 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 365 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा, कुल रकबा 28 बीघा एवं खसरा नंबर 253 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 55 बीघा 13 बिस्वा भूमि मे से 1/3 हिस्सा की खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में से 1/3 हिस्से के संबध में अपीलांटगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के संबध में मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे हक हकूक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में गुणवागुण मे तय होगे। किन्तु अगर इस दौरान वादग्रस्त आराजी में मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति में किसी प्रकार का फेरबदल होता है। तो इससे निश्चय ही वाद की बाहुल्यता बढेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायहित में विधिसम्मत पारित किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 44/2017 बअनवान श्रीमती देवी बनाम गेनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.09.2017 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली